O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 3411
Date 03 NOV 2020
AGM (IT)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, रायपुर में अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण कमांक 21/2020 दिनांक 24.07.2020

श्री क्षीर सागर चौधरी — अपीलार्थी
रायपुर

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती — प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर

—:: आदेश ::—

(दिनांक 02/11/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री क्षीर सागर चौधरी रायपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 22.07.2020 प्रस्तुत किया गया है। जिसे पंजीयन क्रमांक 21/2020 दिनांक 24.07.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी से निम्न जानकारी चाही गई है :—

विभागीय परीक्षा वर्ष 2018—19 के अंतर्गत सहायक प्रबंधक (मा.सं.) (प्रशिक्षु)/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रबंधक (वित्त)/लेखाधिकारी एवं कल्याण अधिकारी के पद हेतु साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों के OMR Sheet एवं हल किये गये प्रश्न पत्र की छायाप्रति एवं साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवारों को दिये गये अंको के बाबत् तैयार किये गये सूची की प्रमाणित प्रति।

(3) अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 20.08.2020 को सांय 4.00 बजे निर्धारित कर, पत्र क्रमांक 35 दिनांक 13.08.2020 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी एवं अपीलार्थी को सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की बैठक आयोजित होने के कारण अपील में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी। अतः अपील प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 29.09.2020 को निर्धारित कर, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 01.09.2020 के माध्यम से दोनों उभय पक्षों को सूचित किया गया।

दिनांक 21.09.2020 से 28.09.2020 तक COVID-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत छ.ग. शासन द्वारा रायपुर में पूर्ण लॉकडाऊन किया गया था। अतः संक्रमण के दृष्टिगत निर्धारित तिथि को प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी। अधोहस्ताक्षरकर्ता (अपीलीय अधिकारी) COVID-19 संक्रमण से ग्रसित होने के कारण कुल 22 दिनों तक अवकाश पर रहे है, जिसके कारण प्रकरण के सुनवाई में विलंब हुआ है।

प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 27.10.2020 को निर्धारित कर पत्र क्रमांक 55 दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को

महासंघ के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक आयोजित होने के कारण प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

दर्ज अपील की सुनवाई मौखिक रूप से दिनांक 28.10.2020 को नियत की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गई। सुनवाई में अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का तर्क कि कंडिका 02/–टीप में उल्लेखित जानकारी के संबंध में (DPIO) प्रबंधक (मा.सं.)–आठ द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

आवेदक को उक्त वस्तुस्थिति से पत्र क्रमांक 1552 दिनांक 25.06.2020 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है।

(5) (अ) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ब) अपीलार्थी का तर्क कि उन्हे चाही गई जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

(स) जनसूचना अधिकारी का तर्क कि आवेदक द्वारा जो जानकारी चाही गई है वह व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी है, जो कि किसी भी दृष्टि से लोकहित से संबंधित नही है। धारा 8 (1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है।

केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील क्रमांक CIC/WB/A/2008/01041 Dated 10.02.2010 श्री सुनील कुमार सिंह विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग में पारित निर्णय के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में सूचना आयोग द्वारा अभिमत दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त किये गये है उन्हें दस्तावेजों के साथ बताया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नहीं है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है।

HON`ble Supreme Court of India in Civil Appeal No- 10044 of 2010 & Ors. Date 13-11-2019 titled as CPIO, Supreme Court of India V. Subhash Chandra Agarwal**,** के प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks abtained, grades and answer sheets, professional records, including qualification performance, are all treated as personal information Similarly,

यह कि अपीलार्थी उक्त भर्ती परीक्षा में प्रतिभागी उम्मीदवार नही है। अतएव अपीलार्थी का उक्त भर्ती परीक्षा से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। अतः उन्हे तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। उत्तर पत्रक तक पहुंच उम्मीदवारों को प्रदान नहीं की जा सकती है, जो वैश्वासिक संबंध से संबंधित है, और वैश्वासिक संबंध है। जो परीक्षक एवं परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी के बीच विद्यमान होता है। अपीलार्थी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों से यह सिद्ध किया जाना आवश्यक होगा कि उक्त सूचना के प्रकटन में लोकहित निहित है और जानकारी दिया जाना विधिसंगत है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 4/–टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है, वह विधिसंगत है, जो स्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी है, जो कि व्यापक लोकहित से संबंध नही रखता है। अतः कंडिका 05/–टीप के पैरा (स) में दिये गये प्रत्युत्तर, नियमानुसार सही है। अतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

एक अन्य तथ्य जिसकी चर्चा किया जाना उचित होगा यह है कि क्या चाही गई जानकारी का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित होगा ?

तत्संबंध में धारा 8 (1) (ञ) में निहित तथ्यों के अवलोकनार्थ एवं व्यापक लोकहित को देखते हुए कंड़िका 2/–टीप में वांछित जानकारी का प्रकटन लोकहित में उचित नहीं है, क्योकि उक्त जानकारी गोपनीय प्रकृति की है जो कि व्यापक लोकहित में समाहित नही है। परिणामतः दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 21/2020 दिनांक 24.07.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय) 02/11/2020
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

कमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –21/2020/ 61 रायपुर, दिनांक 02/11/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा0सं0)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) श्री क्षीर सागर चौधरी सी.–213, सेक्टर–01 सड़क नबंर–03, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002

(एच.के.पाण्डेय) 02/11/2020
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700